



प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक 31.12.2025



जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा वर्ष-2025 में किये गये सराहनीय कार्यों का विस्तृत विवरण

(अवधि : दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा वर्ष-2025 के दौरान अपराध नियंत्रण, माफिया एवं संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही, महिला एवं बाल सुरक्षा, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश, साइबर अपराध नियंत्रण तथा न्यायालयों में सशक्त पैरवी के माध्यम से उल्लेखनीय एवं सराहनीय उपलब्धियाँ अर्जित की गयी हैं। प्रमुख कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है—

➤ आबकारी अधिनियम-

वर्ष 2025 में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 901 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनमें 922 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही में 9269.6 लीटर देशी शराब, 33788.672 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर 03 कुन्टल लहन नष्ट कराया गया।

पंजीकृत अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध एचएस-02, गुण्डा-03, गैंगेस्टर अभियोग-03, कुल 15 व्यक्ति, 03 गैंग पंजीकृत कराते हुए कुल 05 प्रकरण में ₹28,72,222/- की सम्पत्ती जब्त कराई गई।

➤ एनडीपीएस एक्ट-

वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कुल 147 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनमें 238 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण

गांजा – 3713.866 किग्रा

हेरोइन – 1.113 किग्रा

डोडा – 2000.193 किग्रा

नशीला कफ सिरप – 11967.5 लीटर

एनडीपीएस अभियोगों में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध एचएस-07, गुण्डा-06, गैंगेस्टर अभियोग-17, कुल 60 व्यक्ति, 11 गैंग, 04 प्रकरण तथा ₹21,12,861/- की जब्ती की गयी।

➤ गोवध निवारण अधिनियम-

वर्ष 2025 में गोवध से सम्बन्धित कुल 46 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनमें 166 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही के दौरान 483 गोवंश/पशु एवं 27 वाहन बरामद किये गये।

इस श्रेणी में एचएस-19, गुण्डा-17, गैंगेस्टर अभियोग-26, कुल 98 व्यक्ति, 17 प्रकरण तथा ₹65,28,000/- की जब्ती की गयी।

➤ अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही-

वर्ष 2025 में खनन से सम्बन्धित कुल 102 अभियोग पंजीकृत कर 221 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अवैध खनन में 108 वाहनों से 2916 घनमीटर गिट्टी एवं 38 घनमीटर मोरंग बरामद की गयी।

इस श्रेणी में गुण्डा-09, गैंगेस्टर अभियोग-03, एचएस-01, 01 गैंग, 04 प्रकरण तथा ₹3,07,20,000/- की जब्ती की गयी।

➤ महिला एवं बाल सम्बन्धी अपराध-

बलात्कार, पाक्सो सहित महिला अपराधों में 51 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा, 08 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एवं 14 अभियुक्तों का हिस्ट्रीशीट खोला गया।

➤ गुण्डा अधिनियम-

231 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही

110-G / 129 BNSS के अन्तर्गत 1057 कार्यवाही

71 अभियुक्त को जिलाबदर की कार्यवाही कराई गयी है।

➤ गैंगेस्टर अधिनियम-

इस अधीनियम के अंतर्गत कुल 62 अभियोग में 242 अभियुक्तों में से 181 गिरफ्तार 49 हारा 030 कराया गया तथा इसी क्रम में धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण कराई गयी।

कुल 36 प्रकरणों में ₹4,62,09,083/- (चार करोड़ बासठ लाख नौ हजार तिरासी रुपये) की सम्पत्ति जब्त की गयी।

➤ आम्र्स एक्ट-

आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत 39 अभियोग पंजीकृत कर 68 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी में 35 तमंचा, 33 जिन्दा कारतूस, 02 पिस्टल, 01 पम्प एक्शन गन, 01 डीबीबीएल, 01 एसबीएमएल, 01 मरुआ बन्दूक एवं 08 चाकू शामिल हैं।

➤ गैंग पंजीकरण / माफिया के विरुद्ध कार्यवाही-

वर्ष 2025 में कुल 63 गैंग पंजीकृत किये गये।

जनपद में कुल 33 माफिया चिन्हित हैं, जिनमें वर्ष 2025 में 07 नये माफिया चिन्हित किये गये।

➤ पुरस्कार घोषित अपराधी / हिस्ट्रीशीटर-

48 पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी।

कुल 625 हिस्ट्रीशीटर (A-603, B-22)

वर्ष 2025 में 70 नये हिस्ट्रीशीट खोले गये।

➤ साइबर अपराध एवं पोर्टल कार्यवाही-

CEIR पोर्टल से 254 मोबाइल रिकवर

IGRS पोर्टल पर प्राप्त 13382 प्रार्थना पत्र, जिनमें से 12586 का निस्तारण

साइबर फ्रॉड में ₹7.09 करोड़ की ठगी, जिसमें से ₹1.50 करोड़ होल्ड तथा ₹29.58 लाख वापस कराये गये।

➤ प्रभावी न्यायिक पैरवी (सजा का विवरण)-

41 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

17 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा

554 अभियुक्तों को 10 वर्ष तक की सजा

99 अभियुक्तों को अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

➤ अवैध नशीले सिरप के सम्बन्ध में विशेष कार्यवाही-

जनपद सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज पर कुल 02 अभियोग क्रमशः

1. मु०अ०स०-1054/2025 पंजीकृत हैं, जिनमें कुल 15 अभियुक्त नामित हैं। उक्त अभियोगों में से अब तक 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

शेष फरार अभियुक्तों में

शुभम जायसवाल,

विशाल उपाध्याय,

निशान्त गुप्ता उर्फ रवि गुप्ता,

विजय गुप्ता

के विरुद्ध ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) प्रति अभियुक्त का पुरस्कार घोषित किया गया है तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

उक्त अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद कंटेनर वाहनों में लदी कुल 11,967.5 लीटर अवैध नशीला सिरप बरामद किया गया था।

2. मु०अ०सं०-1191/2025 में कुल **04** अभियुक्त नामित हैं, जिनमें से **02** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष फरार अभियुक्तों में—

निशान्त कुमार गुप्ता उर्फ रवि गुप्ता,
विजय गुप्ता

के विरुद्ध **₹25,000/-** (पच्चीस हजार रुपये) प्रति अभियुक्त का पुरस्कार घोषित किया गया है तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

उक्त अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कोडीन युक्त फैन्साडिल सिरप की कुल **75,300,000** एमएल मात्रा का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया गया है।

अभियोग में नामित/गिरफ्तार अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा अपराध जगत से अर्जित चल एवं अचल कुल **₹28,45,97,882/-** (अट्टाईस करोड़ पैंतालीस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ बयासी रुपये) की सम्पत्ति को जब्त किए जाने हेतु चिन्हित करते हुए संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।

निष्कर्ष

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा वर्ष-2025 में अपराध एवं माफिया नियंत्रण, महिला सुरक्षा, अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा प्रभावी न्यायिक पैरवी के माध्यम से कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु निरन्तर प्रभावी प्रयास किये गये हैं।

जनपद सोनभद्र पुलिस जनता की सुरक्षा, विश्वास एवं कानून के शासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।